

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सां0नि0/अग्रिम अध्ययन/2019/2176

दिनांक:- 30/08/2019

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षक को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।	पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1.	सुरेशदान	जन सम्पर्क अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा (आर.पी.एस.सी)	कार्यालय भूजल विभाग, जोधपुर
2.	भौमाराम चौधरी	एम.ए (प्रिवियस) राजनीति विज्ञान(वी.एम.ओ. यू., कोटा)	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, कल्याणपुर, बाडमेर
3.	विनय जॉगिड	सहायक अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), सहायक रोजगार अधिकारी परीक्षा-2019 (यू.पी.एस.सी.)	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर
4.	सन्तोष कुमार मीणा	एम.ए. (प्रिवियस) समाजशास्त्र	जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा
5.	सरिता जाखड	जन सम्पर्क अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा (आर.पी.एस.सी)	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-1), जयपुर
6.	पूजा शाह	स्कूल व्याख्याता-2018	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सागावाडा, डूंगरपुर
7.	प्रियंका मीणा	एम.ए (प्रिवियस) इकोनोमिक्स (वी.एम.ओ.यू., कोटा)	निदेशालय, पशुपालन, जयपुर
8.	जयरत्न	पी.एच.डी (जे.जे.टी.यू. चूड़ैला, झुन्झुनू	सहायक निदेशक, आ. एवं सां.विभाग, चुरू

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- राजसेवक का शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।
- राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
- विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
- अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
- प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग.....
- संबंधित कार्मिक श्री.....
- निजी/रक्षित पत्रावली

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (प्रशासन)